न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील / 17 / 2022 **दायर दिनांकः 13.12.2022**

उनवान

1. निरंजन पि. रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
2. महेश पि. रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
3. यदुनन्दन पि. रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
4. योगेश पि. रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
5. भगवतीबाई पुत्री रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
6. इन्द्राबाई पुत्री रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
7. ललिताबाई पत्नि रामलाल जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा

—— अपीलांटस

बनाम

1. प्रेमचन्द पि. नन्दलाल टेलर जाति नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. शोभाराम पि. नन्दलाल टेलर जाति नि. माथनिया हाल नि. कोटा
3. गुडडीबाई पुत्री नन्दलाल पत्नि राधेश्याम टेलर जाति नि. माथनिया हाल नि. बखेडा म.प्र.
4. कंवरलाल पि. प्रभूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. भिलवाडी
5. बालचन्द पि. प्रभूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. भिलवाडी
6. हीरालाल पि. प्रभूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. भिलवाडी
7. संतोषबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि बृजमोहन टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. बटावदा म.प्र.
8. अयोध्याबाई पुत्री प्रभूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. सरेडी
9. हजारीलाल पि. गोपाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
10. हीराबाई पुत्री गोपाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. रायपुर
11. अनुराधा पुत्री रामचन्दर पत्नि दीपक कुमार नामदेव टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. बखेडा म.प्र.
12. तनुजा पुत्री रामचन्दर टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा
13. जीवनराम पि. मुकन्दलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

14. नन्दूबाई पुत्री मुकन्दलाल पत्नि कालूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. कैरासी म.प्र.

15. मांगीबाई पुत्री मुकन्दलाल पत्नि लक्ष्मीचन्द टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया हाल नि. रायपुर

16. लीलाबाई पुत्री मुकन्दलाल पत्नि बद्रीलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया

17. रामनारायण पि. भेरूलाल टेलर जाति दर्जी नि. माथनिया

18. ग्राम पंचायत माथनिया पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

—— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बनाराजगी
आदेश दिनांक 20.05.1981 नामा.सं. 370 ग्राम पंचायत माथनिया

उपस्थिति

वकील अपीलांटस – श्री नीलकमल त्रिवेदी

रेस्पोडेन्टस सं. 1– श्री विनोद शर्मा

रेस्पोडेन्टस सं. 2 से 18 – एकतरफा

आदेश **दिनांक : 18.12.2024**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण निम्न अपील माननीय न्यायालय में ग्राम पंचायत माथनियां द्वारा पारित आदेश नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 20.05.1981 से असंतुष्ट होकर पेश कर निवेद किया कि यह कि ग्राम माथनियां प.ह. माथनिया तह. रायपुर में वर्तमान खाता संख्या 336 का खसरा नं. 679 रकबा 0.9864 हे० आराजी है जो भेरू पिता मोती जाति दर्जी निवासी माथनियां के नाम दर्ज थी। भेरू की मृत्यु पश्चात् दिनांक 20.05.1981 को नामान्तरण संख्या 370 ग्राम पंचायत माथनियां द्वारा तस्दीक किया गया तो उसमें मृतक भेरू के वारीसान नन्दलाल, प्रभुलाल, गोपाललाल, रामनारायण, मुकन्दलाल के नाम नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया जबकि रामलाल भी मृतक भेरू का ही पुत्र होकर वारिस था। लेकिन नामान्तरण संख्या 370 में मृतक भेरू के वारिस [illegible] पुत्र [illegible]लाल का नाम नहीं जोड़ा गया जो कानूनी भूल है। इसलिए यह नामान्तरण संख्या 370 खारिज होने योग्य है। यह कि मृतक भेरू आ० मो[illegible] जाति दर्जी निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

माथनियां के फौत होने पर दिनांक 26.10.1977 को नामान्तरण संख्या 256 दर्ज किया गया। उसमें अपीलान्ट के पिता रामलाल का नाम दर्ज है। इस प्रकार मृतक भेरू के वारीसान नन्दलाल, प्रभुलाल, गोपाललाल, रामनारायण, मुकन्दलाल, रामलाल, पुत्र होकर वारीसान थे। इस वजह से मृतक भेरू जो कि अपीलान्टगण के दादा थे कि मृत्यु के पश्चात नामान्तरण संख्या 370 में भी अपीलान्टगण के पिता रामलाल का नाम दर्ज होना चाहिए था। जो नहीं हुआ है। इसलिए अपीलान्टगण की अपील स्वीकार योग्य होकर नामान्तरण संख्या 370 खारिज होने योग्य है। इसलिए यह अपील अपीलान्टगण के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश है। यह कि अपीलान्टगण 1 लगायत 7 मृतक भेरू के पुत्र रामलाल के वारीसान है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 भेरू के मृतक पुत्र नन्दलाल के वारीसान है। रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 8 भेरू के मृतक पुत्र प्रभुलाल के वारीसान है। रेस्पोडेन्ट नं. 9 व 10 भेरू के मृतक पुत्र गोपाल लाल के वारीसान है। तथा रेस्पोडेन्ट नं. 11 व 12 भेरू के मृतक पुत्र गोपाल के मृतक पुत्र रामचन्दर की वारीसान है। रेस्पोडेन्ट नं. 13 लगायत 16 भेरू के मृतक पुत्र मुकन्दलाल के वारीसान है। तथा रेस्पोडेन्ट नं.17 मृतक भेरू का पुत्र है। इन सभी में से रेस्पोडेन्ट नं. 13, 14, 15, 16 के नाम अभी मृतक मुकन्दलाल का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए मृतक मुकन्दलाल के स्थान पर रेस्पोडेन्ट नं. नं. 13, 14, 15, 16 को पक्षकार बनाया गया है। यह कि अपीलान्टगण के ग्राम माथनियां से बाहर निवास करने की वजह से अपीलान्टगण को उनके पिता का नाम खाते में दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं मिल पाई थी। अपीलान्टगण के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीलान्टगण ने अपने पिता के स्थान पर नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी माथनियां से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम खाते में दर्ज नहीं है। जिस पर अपीलान्टगण ने हल्का पटवारी माथनियां से राजस्व रेकार्ड प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय में अविलम्ब यह अपील अपीलान्टगण द्वारा पेश की जा रही है। इसके अतिरिक्त अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी माननीय न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा पेश है। यह कि अपील अपीलान्टगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से माननीय न्यायालय में पेश है। यह कि अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्टगण उचित कोर्टफीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। अतः अपील अपीलान्टगण पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम माथनिया का नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 20.05.1981 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 19 को अपीलान्टगण का नाम दर्ज करते हुए पुनः नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेटस सं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब सादर पेश कर निवेदन किया कि

1. अपील का पेरा नं. 1 स्वीकार है।
2. अपील का पेरा नं. 2 स्वीकार है।
3. अपील का पेरा नं. 3 स्वीकार है।
4. अपील का पेरा नं. 4 स्वीकार है।
5. यह कि अपील का पेरा नम्बर 5 कानूनी होने से स्वीकार है।
6. यह कि अपील का पेरा नागर के भानुनी होने से स्वीकार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पोडेन्टस सं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जबाब सादर पेश है।

3. रेस्पोडेटस सं. 2 लगायत 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध मुताबिक आदेशिका दिनांक 19.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

4. अपीलांटस की ओर से ग्राम माथनिया का नामा सं. 370 दिनांक 20.05.1981 व नामा.सं. 256 दिनांक 26.10.1977 की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम माथनिया के खाता सं. 236, 237 जमाबंदी सं. 2075—78 की नकले व खाता सं. 124 जमाबंदी सं. 2038—41 की सत्य प्रति पेश की।

5. वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील अपील[illegible] के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हु[illegible] कि [illegible] माथनिया में अपीलांटस के दादा भेरू पि. मोती[illegible] का फो[illegible] नामान्तरण सं. 256 दिनांक 26.10.1977 दर्ज करते समय खाता सं. 138 [illegible]ता 2 रकबा 9—08

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बीघा में मृतक भेरूलाल के सभी वारीसान– नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मुकन्दलाल, रामलाल व रामनारायण के खाते इन्तकाल के आदेश ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा जारी किये गये थे लेंकिन ग्राम पंचायत माथनिया के अन्य खाता सं. 204 किता 1 रकबा 03–18 बीघा पर मृतक भेरूलाल पि. मोती दर्जी का नामा.सं. 370 दिनांक 20.05.1981 दर्ज करते समय केवल नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मुकन्दलाल व रामनारायण के खाते इन्तकाल के आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार नामा.सं. 370 तस्दीक करते समय अपीलांटस के पिता रामलाल पुत्र भेरू का नाम छोड दिया गया। नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 16 में भी पटवारी द्वारा मृतक भेरूलाल के वारीसानो में अपीलांटस के पिता का नाम अंकित नहीं किया गया जो कि गंभीर कानूनी भूल है। राजस्व कार्मिक एवं ग्राम पंचायत को फोती इन्तकाल तस्दीक करते समय वारीसानो की उचित जांच करने के बाद ही इन्तकाल तस्दीक करना चाहिए था। बिना किसी विधिक प्राधिकार के अपीलांटस के पिता को उनके पिता भेरू पि. मोती की सम्पत्ति में कानूनी हक व अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है। **अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी नामान्तरण आदेश कमांक 370 दिनांक 20.05.1981 प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।**

6. अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया कि अपीलांटस को उनके पिता रामलाल की मृत्यु से पूर्व नामा.सं. 370 दिनांक 20.05.1981 की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस के पिता रामलाल का उसकी भूमि खाता सं. 236 किता 1 रकबा 0.9864 है. में फोती नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए जब हल्का पटवारी माथनिया से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी माथनिया द्वारा बताया गया कि खाता सं. 236 में आपकी कोई जमीन नहीं है तब अपीलांटस ने वादग्रस्त भूमि का पुराना राजस्व रिकार्ड निकाला तो ग्राम पंचायत द्वारा की गई लापरवाही का ज्ञान हुआ था और न्यायालय में अपील पेश कर दी गयी। अपीलांट्स द्वारा विलंब में देरी के लिए माफी के लिए **धारा 5 लिमिटेशन** एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः ऐसे नामान्तरण या अंतरण जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरुद्ध है, की अपील करने की कोई समय सीमा एक्ट में तय नहीं की गई है। लापवाही पूर्वक अपीलांटस के पिता को सुने बिना विधि विरूद्ध किये गये नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के ज्ञान होने की तारीख से ही कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे **void ab initio** नामान्तरण को चुनौती देने के लिए मियाद बाधक नहीं होती है बल्कि ऐसे प्रकरणों को प्रकरण के संज्ञान में आने की तारीख की मियाद से हमेशा गुणावगण पर निर्धारित किया जाकर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जावे ताकि अपीलांटस को उनके दादा/पिता की सम्पत्ति में अपना हक व अधिकार प्राप्त हो सके।

7. अभिभाषक अपीलांटस की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम माथनिया तहसील रायपुर के ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 256 दिनांक 26.10.1977 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन खाता सं. 138 किता 2 रकबा 9–08 बीघा भेरू पि. मोती दर्जी के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार भेरू पि. मोती दर्जी के फोत होने पर यह फोती नामान्तरण तस्दीक किया गया। नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 16 में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई है कि खातेदार भेरू पि. मोती 2 वर्ष पूर्व फोत हो गया है। उसके सुलभी पुत्र नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मुकन्दलाल, रामलाल व रामनारायण तथा पुत्रियां सरजू, गीता, सुन्दरबाई मौजूद है। अतः नामान्तरण तस्दीक फरमाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने नामान्तरण आदेश में मृतक खातेदार भेरू पि. मोती दर्जी के फोत होने से उनके स्थान पर 6 सुलभी पुत्रो– नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मुकन्दलाल, रामलाल व रामनारायण के पक्ष में हिस्सा बांट बराबर यानि 1/6–1/6 नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश दिया गया। **मृतक भेरूलाल की पुत्रियों सरजू, गीता, सुन्दर के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं किया गया। नामान्तरण से पुत्रियों का नाम हटाने का भी कोई कारण आदेश में अंकित नहीं है। नामान्तरण पंजिका पर कही भी मृतक भेरू पि. माती दर्जी के वारीसान का पृथक से शजरा अंकित नहीं है और न ही पंजिका के कालम सं. 10 से 12 में भी कोई अंकन है।** उक्त भूमि के वर्तमान खाता सं. 237 किता 2 रकबा 2.3775 है. में अपीलांटस के पिता रामलाल का हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

8. अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम माथनिया तहसील रायपुर के ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 370 दिनांक 20.05.1[illegible] के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि तत्कालीन खाता सं. 204 किता 1 रकबा 3–18 बीघा भेरू पि. मोती दर्जी के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार भेरू पि. मोती दर्जी के फोत होने पर यह फोती नामान्तरण तस्दीक किया गया। नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 16 में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई है कि खातेदार भेरू पि. मोती 2 वर्ष पूर्व फोत हो गया है। उसके सुलभी पुत्र नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपालराम, रामनारायण, मुकन्दलाल मौजूद है, बेवा नहीं है तथा दो पुत्रियां हरकू व अन्य नाम (अपठनीय) मौजूद है। अतः नामान्तरण तस्दीक फरमाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने नामान्तरण आदेश में मृतक खातेदार भेरू पि. मोती दर्जी के फोत होने से उनके स्थान पर सुलभी पुत्रो– नन्दलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मुकन्दलाल व रामनारायण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश दिया गया। **मृतक भेरूलाल की दो पुत्रियों हरकू व अन्य नाम (अपठनीय) के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं किया गया। नामान्तरण से पुत्रियों का नाम हटाने का भी कोई कारण आदेश में अंकित नहीं है। नामान्तरण पंजिका पर कही भी मृतक भेरू पि. माती दर्जी के वारीसान का पृथक से शजरा अंकित नहीं है और न ही पंजिका के कालम सं. 10 से 12 में भी कोई अंकन है।** वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन अनुसार उक्त भूमि के वर्तमान खाता सं. 236 किता 1 रकबा 0.9864 है. में अपीलांटस के पिता का नाम दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा दिनांक 20.05.1981 को तस्दीक किया गया नामा.सं. 370 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है।

9. यह सही है कि अपीलांटस द्वारा यह अपील नामा.सं. 370 के तस्दीक होने के करीब 43 साल बाद पेश की गई है जो सामान्यतः मियाद बाहर है लेंकिन अपीलांटस का कहना है कि अपीलांटस को उनके पिता रामलाल की मृत्यु से पूर्व नामा.सं. 370 दिनांक 20.05.1981 की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलांटस के पिता वादग्रस्त आराजी पर वर्षो से मौके पर खेती आ रहे थे। अपीलांटस के पिता रामलाल का उसकी खाता सं. 236 किता 1 रकबा 0.9864 है. में फोती नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए जब हल्का पटवारी माथनिया से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी माथनिया द्वारा बताया गया कि खाता सं. 236 में आपकी कोई जमीन नहीं है तब अपीलांटस ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि का पुराना राजस्व रिकार्ड निकाला तो ग्राम पंचायत द्वारा की गई लापरवाही का ज्ञान हुआ था और न्यायालय में अपील पेश कर दी गयी। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिटस के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिटस के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी लिखित दस्तावेज के, अपीलांटस को सुने बिना, मनगढंत कथनो के आधार पर भेरू पि. मोती की पैतृक सम्पति में अपीलांटस के पिता को विरासत के अधिकार से वंचित करना प्रारंभ से ही हिन्दू उतराधिकार विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य है। ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिंद्धांत है। जो नामांतरण पुर्णतया साक्ष्य के विरूद्ध किये गये सिद्ध हो तो उन्है यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। यह सही कि न्यायिक दृष्टि से 43 वर्षो के असाधरण विलंब को सामान्य परिस्थिति मे क्षमा करना गलत है। सामान्य परिस्थितियों में किसी पक्षकार की निषक्रियता और तुच्छ आधार पर अपील पेश करने में कि गयी देरी के प्रति उदार दृष्टि कोण अपनाना लिमिटेशन एक्ट को निरर्थक और अप्रांसगिक बना देगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध विलंब को माफ करने से यदि वास्तविक न्याााय की प्राप्ति होती हो तो [illegible] वर्षो की देरी को भी माफ किया जाना चाहिए। विलंब [illegible] न्यायालय के विवेक अधिकार का मामला है। [illegible] धारा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

यह नही कहती है कि विवेकाधिकार का उपयोग मात्र तब ही किया जायेगा जबकि विलंब निश्चित परिसीमा के अंदर हो।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट्स का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर विलंब को माफ किया जाना न्यायोचित है।

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित फौती नामांतरण सं0 370 दिनांक 20.05.1981 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) होने से अपीलांट्स द्वारा पेश अपील न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर माथनिया तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित फौती नामांतरण सं0 370 दिनांक 20.05.1981 खारीज किया जाकर अपीलांट्स द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामांतरण सं0 370 को खारीज कर नामांतरण से पूर्व की मूल स्थिति बहाल कर पुनः मृतक खातेदार भेरू पुत्र मोती जाति दर्जी का फौती इंतकाल **समस्त वैध वारिसानो** के नाम नियमानुसार तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार मीणा, आरएएस)
[illegible] अधिकारी पिड़ावा
[illegible] झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner